करणीराम बनाम तहसीलदार फतेहपुर

विषय मुकदमा विविध-131 नं. 54 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-06-18	वकील प्रार्थी हाजिर। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर है। अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 08.06.18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	3097-98 / 06-06-18 3099 / 06-06-18
08.06.18	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट बिराणियां पर पेश हुई। तहसीलदार, फतेहपुर से जरिये पत्रांक 01 दिनांक 8.6.18 के रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार, फतेहपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली का गहरी भांति अवलोकन किया गया। हस्ब सिफारिश तहसीलदार, फतेहपुर के अनुसार ग्राम बिराणियां की भूमि ख० नं. 60, 62 तथा ग्राम किशनपुरा की भूमि ख. नं. 280, 281, 282 में खातेदार का नाम कानाराम पुत्र धुनाराम के स्थान पर "करणीराम पुत्र धुनाराम" दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (रेखा मीणा) अध्यक्ष लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	आदेश की प्रति तहसीलदार फतेहपुर को भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)